संख्या-28/2025/475/77-6-2025-6099/432/2019/233835

प्रेषक,

पीयूष वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ: दिनांक 27.03.2025**

विषय:- वित्तीय वर्ष-2024-25 के बजट में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 130.56 करोड़ के सापेक्ष कुल रू. 5,80,52,025.00 (रूपये पांच करोड़ अस्सी लाख बावन हजार पच्चीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पिकप के पत्र संख्या- इन्स-10-20/आईआईपीएस/2003/2022-23/Vol-XII/1390, दिनांक 25.02.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के अन्तर्गत पात्र इकाई को स्वीकृत किए गए ब्याजमुक्त ऋण की धनराशि वितरित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए योजनान्तर्गत आवंटित बजट धनराशि रू0 130.56 करोड़ के सापेक्ष कुल कुल रू. 5,80,52,025.00 (रूपये पांच करोड़ अस्सी लाख बावन हजार पच्चीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने का अनुरोध किया गया है। पात्र इकाई का उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत् हैः-

क्रम संख्या	**इकाई का नाम**	**वित्तीय वर्ष**	**स्वीकृत धनराशि (रू0)**	**वितरण हेतु आहरित की जाने वाली धनराशि (रू0)**
1	2	3	4	5
1	मे० सुयश पेपर मिल्स, बस्ती (पायनियर इकाई)	2022-23	5,80,52,025.00	5,80,52,025,00
	योग		**5,80,52,025.00**	**5,80,52,025.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग के अनुदान संख्या-007 के लेखा शीर्षक- 6885- उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य कर्ज- 01- औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज- 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज- 06- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 मानक मद 30- निवेश/ऋण में प्राविधानित धनराशि रू. 130.56 करोड़ (रुपये एक सौ तीस करोड़ छप्पन लाख मात्र) के सापेक्ष उपरोक्त इकाई को स्वीकृत ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए जाने हेतु कुल रू. 5,80,52,025.00 (रूपये पांच करोड़ अस्सी लाख बावन हजार पच्चीस मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किए जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. उक्त प्रस्तर-1 के स्तम्भ 5 में अंकित धनराशि का भुगतान इकाई के बैंक खाते में सीधे आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।
2. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से तत्काल शासन के औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4 एवं समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगा।
3. पिकप द्वारा ऋण वितरित किए जाने के पूर्व पात्र इकाइ के संबंध में अपने स्तर से पात्रता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रस्तावित व्याजमुक्त ऋण स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रक्रियाओं/विधिक औपचारिकताओं का पालन कर लिया गया है।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।
5. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
6. स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
8. यह धनराशि पात्र इकाई को उपलब्ध करायी जाएगी, जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 (यथासंशोधित) में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9. पात्र इकाई को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व पिकप पर होगा। वसूली में शिथिलता बरते जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रेतर कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी।
10. यदि इकाई द्वारा ऋण वापसी के सम्बन्ध में डिफाल्ट किया जाता है तो डिफाल्ट की तिथि से आगे दी जाने वाली धनराशि का भुगतान बन्द कर दिया जायेगा।
11. पिकप द्वारा इकाई को स्वीकृत किये गये ऋण की वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था की जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी।
12. ऋण की वापसी में विलम्ब करने वाली इकाई से वसूला जाने वाला ब्याज (1.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा।
13. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए पिकप उत्तरदायी होगा।

14. स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
15. पिकप द्वारा स्वीकृत धनराशि आहरित करने से पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-007 लेखा शीर्षक-6885011900600 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या–E-6-236-X-2024-25-दिनांक: 18.3.2025 में प्राप्त वित विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

पीयूष वर्मा

विशेष सचिव।

संख्या-28/2025/475/77-6-2025-6099/432/2019/ 233835 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. आयुक्त् एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर।
3. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. प्रबंध निदेशक, पिकप के पत्र संख्या- इन्स-10-20/आईआईपीएस/2003/2022-23/Vol-XII/1390, दिनांक 25.02.2025 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु ।
8. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
11. नियोजन अनुभाग-1/4
12. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
13. गार्ड फाइल

आज्ञा से,
रामध्यान रावत
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।